कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर (भागलपुर)

(E-mail :- eeshivnarayanpur@gmail.com)

पत्रांकः–...   ......   / शिवनारायणपुर,   दिनांकः–   ई0

पुर्न अति अल्पकालीन निलामी सूचना संख्या–04 वर्ष 2026–27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि गंगा पंप नहर प्रमंडल शिवनारायणपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्णित गॉवों/नहरों के किनारे पड़ने वाले फलदार वृक्षों की बन्दोबस्ती वर्ष 2026 एवं वर्ष 2027 के लिए दो वर्षों के लिए दिनांक 23.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक प्रमंडलीय शिविर स्थित निरीक्षण भवन में होगी।

स्थान	वृक्षों का विवरण	अवधि	अग्रधन की राशि	न्युनतम मूल्य
1	2	3	4	5
कहलगॉव, खुटहरी एव रामराईबाग के बगीचे एवं मुख्य नहर के बिन्दु दूरी 0.00 से 10.00 के बीच दोनों बांधों के वृक्ष।	आम– 311 जामुन– 09 इमली– 02 लीची– 03 सपाटू– 04 बेल–06 कटहल–02	वर्ष 2026 एवं वर्ष 2027 दो वर्षों के लिए।	1,20,000.00	12,00,000.00
मुख्य नहर के बिन्दु दूरी 15.60 से 20.00 के बीच दोनों बांधों के वृक्ष।	आम– 16 कटहल–01 बेल– 01			
परशुरामचक मौजा में अवस्थित वृक्ष ।	आम– 4			

प

विस्तृत जानकारी के लिए www.wrd.bih.nic या www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

Prasad

कार्यपालक अभियंता
गंगा पंप नहर प्रमंडल,शिवनारायणपुर।

Vijaykar
13.05.26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर (भागलपुर)

(E-mail :- eeshivnarayanpur@gmail.com)

पत्रांकः–...   ...... / शिवनारायणपुर,   दिनांकः–   ई0

पुर्न अति अल्पकालीन निलामी सूचना संख्या–04 वर्ष 2026–27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि गंगा पंप नहर प्रमंडल शिवनारायणपुर के अन्तगत निम्नलिखित वर्णित गॉवों/नहरों के किनारे पड़ने वाले फलदार वृक्षों की बन्दोबस्ती वर्ष 2026 एवं वर्ष 2027 के लिए दो वर्षों के लिए दिनांक 23.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक प्रमंडलीय शिविर स्थित निरीक्षण भवन में होगी।

स्थान	वृक्षों का विवरण	अवधि	अग्रधन की राशि	न्युनतम मूल्य
1	2	3	4	5
कहलगॉव, खुटहरी एव रामराईबाग के बगीचे एवं मुख्य नहर के बिन्दु दूरी 0.00 से 10.00 के बीच दोनों बांधों के वृक्ष।	आम– 311 जामुन– 09 इमली– 02 लीची– 03 सपाटू– 04 बेल–06 कटहल–02	वर्ष 2026 एवं वर्ष 2027 दो वर्षों के लिए।	1,20,000.00	12,00,000.00
मुख्य नहर के बिन्दु दूरी 15.60 से 20.00 के बीच दोनों बांधों के वृक्ष।	आम– 16 कटहल–01 बेल– 01			
परशुरामचक मौजा में अवस्थित वृक्ष ।	आम– 4			

बन्दोबस्ती की शर्ते

1. बंदोबस्ती में भाग लेने वाले डाक वक्ता को अग्रधन की राशि डाक के पूर्व जमा करना होगा। बोली समाप्त होने के बाद अधिकतम डाक बोलने वाले को छोड़कर शेष डाकवक्ताओं के अग्रधन की राशि लौटा दी जाएगी। अधिकतम डाक बोलनेवाले वक्ता के अग्रधन की राशि को बंदोबस्ती के बाद जमा करने वाले राशि में समायोजित कर लिया जाएगा। बंदोवस्ती लेनेवाले व्यक्ति का जमानत राशि के रूप में 1,20,00.00/–(एक लाख बीस हजार मात्र) का बचत प्रमाण पत्र आठवां निर्गत, तीनवर्षीय/पॉचवर्षीय /सातवर्षीय/सात वर्षो में डाक घर जमा पास बुक जो विधिवत कार्यपालक अभियंता, गंगा पंप नहर प्रमंडल शिवनारायणपुर के नाम से प्रतिज्ञित हो, जमा करना होगा, जो बन्दोवस्ती राशि के अलावे अगली बन्दोबस्ती तक के लिए जमा रहेगा। यह राशि पेड़ों की यथा

स्थिति बरकरार रहने पर अगली बंदोबस्ती के बाद लौटा दी जाएगी। पूरी राशि विधिवत प्रतिज्ञित कराकर जमा करने पर बंदोबस्ती प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा।

2. डाक की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंकड्राफ्ट द्वारा,जो कार्यपालक अभियंता, गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के पक्ष में भागलपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, भागलपुर में भुगतेय हो, जमा करना होगा।
3. निर्धारित समय तक राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. आवश्यकतानुसार बंदोबस्ती बिना पूर्व सूचना के रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. वृक्षों में फलों का आना/न आने से संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
6. फलदार वृक्षों एवं अन्य वृक्षों की देखभाल करने की जिम्मेदारी बंदोबस्ती लेनेवाले व्यक्ति का होगा। क्षति होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. बगीचा जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में बंदोबस्ती की जाएगी। बगीचा की स्थिति के बारे में बंदोबस्ती के बाद किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा।
8. डाकवक्ता बंदोबस्ती से पूर्व अपने स्तर से स्थल निरीक्षण कर सकते है। बाद में वृक्षों की संख्या/स्थिति का दावा मान्य नहीं होगा।
9. अधिकतम डाक बोलने वाले वक्ता को परवाना सक्षम पदाधिकारी से डाक की स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्गत किया जाएगा।
10. डाक की पूरी राशि जमा होने एवं उसकी स्वीकृति सिचाई अंचल, भागलपुर से मिलने के पश्चात् ही मनी रसीद दिया जाएगा।
11. अधिकतम डाक बोली बोलने वाले को प्रथम डाकवक्ता निरूपित करते हुए उनके द्वारा डाक की तिथि के अगले दिन तक हीं बोली की राशि का 60% जमा नहीं करने की स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता को मौका दे दिया जाएगा एवं प्रथम डाकवक्ता (अधिकतम डाक बोली बोलने वाले) के अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जाएगी। शेष 40% राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा।

ह०/-
कार्यपालक अभियंता
गंगा पंप नहर प्रमंडल,शिवनारायणपुर।

पत्रांकः–.... 800 / शिवनारायणपुर, दिनांकः–13-05-2026ई0/

प्रतिलिपि :– जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिचाई भवन, बिहार, पटना को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।

Prasad
कार्यपालक अभियंता
गंगा पंप नहर प्रमंडल,शिवनारायणपुर।
Vidyakar 13.5.26